प्रेस नोट
*जनपद – संतकबीरनगर *
दिनाँक 06.01.2026

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 81 वाहनों से 82000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 06.01.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 81 वाहनों से 82000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति अभियान 5.0 के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल *श्री सर्वदवन सिंह* के निकट पर्यवेक्षण में *थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा* मु0अ0स0 06/2026 धारा 137(2)/87 बीएनएस थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता अब्दुल सलाम पुत्र निसाररूल्ला खान निवासी रमचौरा टोला भरपुरवा थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर को मेहदावल रोडवेज तिराहे के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी द्वारा दिनाँक 04.01.2026 को थाना मेंहदावल पर वादी की पुत्री को उपरोक्त अभियुक्त द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनाँक 06.01.2026 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया तथा अपहृता को बरामद किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री योगेश राय, हे0का0 मुरली मनोहर ।

मिशन शक्ति 5.0 के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा स्टंटबाजी व काली फिल्म वाले चारपहिया वाहनों के विरुद्ध चलाया गया अभियान

- ☐ *मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत जनपद के समस्त थानों द्वारा 69 स्थानों पर 2643 वाहनों को किया गया चेक।*
- ☐ *मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 98 स्टंटबाजी करने एवं यातायात में बाधा उत्पन्न करने वाले दो पहिया वाहनों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही।*
- ☐ *मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 06 चार पहिया वाहनों से उतरवायी गयी काली फिल्म।*
- ☐ *मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 03 चार पहिया वाहनों पर गलत तरीके से लगे नंबर प्लेट पर की गयी कार्यवाही।*
- ☐ *मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 02 चार पहिया वाहनों पर शासकीय तथा जाति सूचक शब्द लगे होने पर की गयी कार्यवाही।*
- ☐ *मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 1330 वाहन स्वामियों को दी गयी चेतावनी।*

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करने व महिलाओं की सुरक्षा तथा सड़क सुरक्षा नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन क्षेत्राधिकारी यातायात *श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय* के पर्यवेक्षण में आज दिनाँक 06.01.2026 को जनपद के समस्त थाना व प्रभारी यातायात द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया गया।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य न केवल नियमों का पालन सुनिश्चित करना था, बल्कि आमजन में यातायात नियमों एवं महिला सुरक्षा के प्रति जागरूकता भी उत्पन्न करना है। जनपदीय पुलिस द्वारा यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा ताकि नागरिकों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़े तथा महिलाएं सुरक्षित वातावरण में स्वतंत्र रूप से अपने कार्य कर सकें। इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन कराना एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है।

मिशन शक्ति 5.0 के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा चलाया गया एण्टी रोमियो अभियान

- ***जनपद के समस्त थानों द्वारा 74 स्थानों पर 1509 व्यक्तियों को किया गया चेक ।***
- ***71 शोहदों से माफीनामा भरवाकर हिदायत देते हुए छोड़ा गया ।***
- ***34 शोहदों के विरुद्ध की गयी धारा 126/135/170 BNSS की कार्यवाही ।***
- ***919 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया ।***

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महिलाओं / बालिकाओं को जागरूक करने हेतु चलाये जा रहे मिशन शक्ति 5.0 अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद के समस्त थाना क्षेत्र अंतर्गत महिला बीट पुलिस अधिकारियों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर भ्रमण कर प्राथमिकता के आधार पर महिला / बालिकाओं को जागरुक करने के साथ ही उनके समस्याओं के निस्तारण कराने के संबंध में जागरुक किया गया, साथ ही महिलाओं एवं बालिकाओं को वूमेन पॉवर लाइन-1090, पुलिस आपातकालीन सेवा-112, एम्बुलेंस सेवा-108, चाइल्ड लाइन-1098, स्वास्थ्य सेवा-102, महिला हेल्पलाइन-181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1076, साइबर अपराधों के बारें में साइबर हेल्पलाइन-1930 आदि कानूनी प्रावधानों एवं उनके अधिकारों इत्यादि के बारें में चर्चा करते हुए शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं के विषय में जानकारी देते हुए पम्पलेट प्रदान कर जागरूक किया जा रहा है । इस दौरान 01. थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा थानाक्षेत्र में 10 स्थानों पर 129 व्यक्तियों को चेक किया गया, 110 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा, 13 शोहदें के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई व 06 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया, 02. थाना दुधारा पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा थानाक्षेत्र में 03 स्थानों पर 217 व्यक्तियों को चेक किया गया, 110 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया, 01 शोहदें के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई व 09 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 03. महिला थाना पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा 05 स्थानों पर 90 व्यक्तियों को चेक किया गया, 40 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया व 05 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 04. थाना धनघटा पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र में 20 स्थानों पर 250 व्यक्तियों को चेक किया गया तथा 136 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया, 06 शोहदें के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई व 15 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 05. थाना महुली पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा थानाक्षेत्र में 25 स्थानों पर 320 व्यक्तियों को चेक किया गया, 10 शोहदो के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई व 290 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया तथा 20 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया, 06.थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र में 02 स्थानों पर 120 व्यक्तियों को चेक किया गया, तथा 50 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया, 03 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 07. थाना बखिरा पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र में 04 स्थानों पर 190 व्यक्तियों को चेक किया गया, 40 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया, 04 शोहदो के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई तथा 02 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया, 08. थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 02 स्थानों पर बिना वजह घूम रहे 120 व्यक्तियों को चेक करते हुए 75 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया, 06 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया, 09. थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र में 03 स्थानों पर 73 व्यक्तियों को चेक किया गया, 68 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया तथा 05 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, अपहृता बरामद

जनपद में मिशन शक्ति अभियान 5.0 के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद *श्री अमित कुमार* के निकट पर्यवेक्षण में *थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा* मु0अ0स0 807/2025 धारा 137(2),87,61(2),352,351(3) बीएनएस थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता अंकित उर्फ गुर्रे पुत्र रमेश निवासी बयारे थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को मंझरिया रेलवे क्रासिंग के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनाँक 03.09.2025 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर वादी की पुत्री को उपरोक्त अभियुक्त द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनाँक 06.01.2026 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया तथा अपहृता को बरामद किया गया।

***गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण*-** उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र कुमार मिश्रा, हे0का0 छोटेलाल, का0 मनीष यादव, म0का0 मीना यादव।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 1100 ग्राम अवैध गाँजा के साथ 01 अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद *श्री अमित कुमार* के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद *श्री पंकज कुमार पाण्डेय* के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन व भ्रमण क्षेत्र के दौरान अभियुक्ता नाम पता सुशीला देवी पत्नी हृदयराम निवासी टेमा रहमद खलीलाबाद थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को पिपरा कला पोखरा के पास से 1100 ग्राम अवैध गाँजा के साथ के गिरफ्तार कर आज दिनांक 06.01.2026 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों-निर्देशों का अक्षरः पालन करते हुए माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. सुशीला देवी पत्नी हृदयराम निवासी टेमा रहमद खलीलाबाद थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0स0 08/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी- 1100 ग्राम अवैध गाँजा।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल- उ0नि0 श्री रामवशिष्ठ, का0 जयकिशन गौड़, का0 चन्द्रशेखर यादव, का0 गिरिजेश कुमार, का0 बलवन्त चौहान, म0का0 सीमा।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अमित कुमार*** के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 229/2025 धारा 406/506/467/468 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त प्रिंस वर्मा पुत्र चेतराम निवासी लोनार मठ मौजा बड़नपुर थाना रामनगर जनपद बाराबंकी को मेंहदावल बाइपास से आज दिनाँक 06.01.2026 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि दिनाँक 18.03.2025 को वादी मुकदमा श्री जयशंकर पुत्र नागेन्द्र सिंह द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर उक्त अभियुक्त के विरुद्ध धोखाधड़ी/कूटरचित दस्तावेज पर रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 229/2025 धारा 406,506,467,468 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया था। उक्त अभियुक्त को आज दिनाँक 06.01.2026 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1. प्रिंस वर्मा पुत्र चेतराम निवासी लोनार मठ मौजा बड़नपुर थाना रामनगर जनपद बाराबंकी

***पंजीकृत अभियोग* -**

मु0अ0सं0 229/2025 धारा 406,506,467,468 भा0द0वि0।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 श्री ओंकारनाथ चतुर्वेदी, हे0का0 सुशील कुमार, हे0क0 वीर विक्रम सिंह, का0 संजीत कुशवाहा।